Thirteenth Loksabha

Session : 11
Date : 12-12-2002

Participants : Yadav Shri Sharad ,Suman Shri Ramji Lal ,Yadav Shri Mulayam Singh ,Singh Shri Prabhunath ,Jaiswal Shri Shriprakash ,Singh Dr. Raghuvansh Prasad ,Singh Shri Akhilesh ,Palanimanickam Shri S.S. ,Bhadana Shri Avtar ,Yadav Shri Sharad

NT>

17.59 hrs

Title: Statement regarding agitation of cane growers of district Basti in Uttar Pradesh for enchancing the price of sugarcane.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष जी, जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में गन्ना किसानों से सम्बन्धित वियों के बारे में चले आन्दोलन के सन्दर्भ में राज्य सरकार से आज दिनांक 12.12.2002 को सूचना प्राप्त हुई है। इसके अनुसार, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता दिनांक 2.12.2002 से गन्ने का मूल्य बढ़ाने आदि के बारे में मुंडेर वा चीनी मिल के गेट पर धरना दे रहे थे। दिनांक 10.12.2002 को थाना मुंडेरवा में 50 कार्यकर्ताओं और थाना गौर में 17 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के प्रति कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। दिनांक 11 दिसम्बर, 2002 को जब अपर पुलिस अधीक्षक स्थल पर पहुंचे तो पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई तथा उनके सरकारी वाहन को जला दिया गया। अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने पर ये सभी लोग भाग खड़े हुए और आगे जाकर राट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज की एक बस में आग लगा दी। इसके कुछ समय बाद, तीन किलोमीटर की दूरी पर एल.आर.पी. बाइपास पर रोडवेज की दो और बसों को जला दिया तथा अन्य वाहनों पर पथराव किया व तोड़-फोड़ की। पुलिस ने इन स्थानों पर कार्यकर्ताओं का पीछा किया तो कार्यकर्ता ि वभिन्न दिशाओं में भाग खड़े हुए। कुछ कार्यकर्ताओं ने कस्बे के जल निगम स्टोर केबिन व एक बीज गोदाम में भी आग लगाई। पुलिस ने उनका पीछा किया और आग पर काबू पाया गया। कार्यकर्ता गोरखपुर-लखनऊ रेलवे लाइन पर बैठ गए तथा रेलवे पटरी को क्षति पहुंचाई गई, जिससे रेल यातायात करीब पांच घंटे तक बाधित रहा।

18.00 hrs.

राज्य सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार कार्यकर्ता लगातार पुलिस बल पर पथराव करते रहे और भीड़ में से कुछ लोग फाइरिंग भी करते रहे। इस घटना में पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर और अपर पुलिस अधीक्षक, बस्ती, उप-निरीक्षक तथा कुछ आरक्षी घायल हुए। उप-निरीक्षक के सिर में

चोट आने के कारण उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस भगदड़ में, भीड़ के हटने के बाद, एक व्यक्ति मृत पाया गया जिस पर फायर आर्म की चोटें लगी थीं जो संभ वतः भीड़ में किसी के द्वारा फायर करने से लगी होंगी। इस सिलसिले में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।

यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों, चीनी उद्योग की एसोसिएशनों तथा गन्ना किसान संगठनों से परामर्श करने के पश्चात् गन्ने का सांविधिक (Statutory) न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) प्र ातिर्वा निर्धारित किया जाता है। तथापि, अधिकांश चीनी मिलें या तो राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए मूल्य अथवा सम्मत मूल्य अदा करती हैं जो कि सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अक्सर अधिक होता है। चीनी मौसम 2001-2002 के दौरान, उत्तर प्रदेश के लिए अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य 62.05 रुपए से 81.76 रुपए प्रति क्विंटल के बीच था, जबकि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा वास्तव में गन्ने का मूल्य 92.50 रुपए से 100.00 रुपए प्रति क्विंटल के बीच अदा किया गया।

वर्तमान चीनी मौसम 2002-2003 के लिए भारत सरकार ने 8.5 प्रतिशत की मूल "रिकवरी" पर 64.50 रुपए प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोाणा की है, जिसमें उक्त स्तर से प्र ात्येक 0.1 प्रतिशत अधिक की "रिकवरी" पर 0.76 रुपए का प्रीमियम देने की व्यवस्था है। उत्तर प्र ादेश सरकार ने दिनांक 12 नवम्बर, 2002 को यू.पी. स्टेट शूगर निगम व सहकारी चीनी मिलों के लिए पिछले वर्ा के मूल्यों का स्तर कायम रखा जिस पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किए।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि इस वर्ा उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों ने, पहले के वर्ाों की तुलना में, कुछ देरी से पेराई कार्य आरम्भ किया है। दिनांक 12.12.2002 को स्थिति के अनुसार, राज्य में कार्यरत 101 चीनी मिलों में से 81 चीनी मिलों ने पेराई कार्य आरम्भ कर दिया है।

अध्यक्ष जी, इसके अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। आज सुबह जब यह मामला उठा था तो प्रधान मंत्री जी खुद आए थे। उन्होंने इस सवाल पर हस्तेक्षप किया था। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग काफी बड़े संकट में है। इसका रास्ता और उपाय निकालने के लिए मैंने इस बयान के पहले प्रधान मंत्री जी से बात की थी। मैंने उनसे विनती की है कि जो चीनी उद्योग के इलाके हैं, जहां गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर जो बकाया राशि है, उसका समाधान किया जाए। हमने बफर स्टाक बनाया है और कुल 1100 करोड़ रुपया जो बकाया है, उसमें से 786 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। यह कोई छोटी राहत नहीं है। हम इस बकाया राशि को देने की पूरी कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पहली बार 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाया गया है। हमने शूगर ड

वलपमेंट फंड से गन्ने के विकास के लिए और मिलों के आधुनिकीकरण के लिए मदद की है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद यह उद्योग संकट में है। इसके बारे में मैंने आज ही प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया है। वे स्वयं यहां मौजूद थे, आप नहीं थे, उपाध्यक्ष जी थे। प्रधान मंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए यहां पहुंचे थे, मैं भी पहुंचा था। यह मामला किसानों से वास्ता रखता है। गन्ना उत्पादक किसानों की दिक्कतें हैं और चीनी उद्योग भी दिक्कत में है। इसमें निश्चित तौर पर मदद करके इस दिक्कत को दूर करना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से सदन में निवेदन किया। प्रधान मंत्री जी भी उतने ही चिंतित हैं। इस बयान के पहले दो बार मेरी उनसे बात हुई है। सरकार इस मुद्दे पर गम्भीर है और इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आप प्रोसीजर जानते हैं। इस विाय पर चर्चा हो सकती है। आप छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं इजाजत दे रहा हूं लेकिन भााण मत करिए। आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, आप पूछ सकते हैं। मैं इजाजत दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सर, मैं आधा मिनट लूंगा।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी एक मिनट का समय दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। सुमन जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह माननीय मंत्री जी का बयान है। इसमें कहा गया है कि भगदड़ में भीड़ के हटने के बाद एक व्यक्ति मृत पाया गया जिसे फायरिंग में चोट लगी थी और जो संभवत: भीड़ में किसी के द्वारा फायर करने से लगी होगी। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि परसों देवेन्द्र प्रसाद यादव वाला मामला उठा था और उसमें गृह मंत्री जी ने बयान दिया। उसमें कहा गया था कि उन्होंने उप राज्यपाल, गृह सचिव और पुलिस आयुक्त से बात करके यह कहा कि वहां पुलिस ने कोई फायर नहीं किया, लाठी नहीं चलाई। यह बयान भी राज्य सरकार से पूछकर दिया गया है। राज्य सरकार में डीआईजी ने कल ही कहा था, आज ही कहा है कि फायर से किसी की मौत नहीं हुई है।...(व्यवधान) फायर से मौत हुई है और सरकार तथ्यों को छुपाने का काम कर रही है। दिनांक दो दिसम्बर से लोग बराबर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तब वहां कोई फायरिंग क्यों नहीं हुई? तब वहां लोगों की हत्या क्यों नहीं हुई? यह बहुत गंभीर मामला है। किसानों के साथ अन्याय हुआ है और हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इस बयान का सत्यता से कोई संबंध नहीं है। संसद की एक समिति भेजिए जो पूरे तथ्यों की जांच करे और इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से किसान वहां दो दिसम्बर से प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे थे तो कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से वहां फायरिंग हो गई और तीन किसानों को मार डाला गया? सरकार जान-बूझकर तथ्यों को छुपा रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए। भााण मैं यहां करने नहीं दूंगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, सुमन जी ने जो बात कही है, आज सुबह जब यह मामला उठा था तो अखबार में तीन किसानो की मृत्यु का शोकपूर्ण समाचार मैंने भी पढ़ा और मैं मानता हूं कि वहां समस्या है। जो बकाया है, वह एक या दो साल का नहीं है। तीन-तीन, चार-चार साल का बकाया है तो निश्चित रूप से जब सदन में सभी लोगों ने सवाल उठाया तो फिर इसमें माननीय प्र ाधान मंत्री जी ने कहा कि सारी घटना पर वक्तव्य आज शाम को देंगे और मेरे पास कोई दूसरा

आधार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो यहां की घटना हुई थी, संसद के सामने, उसके बारे में, इसलिए कि पुलिस भी इनके हाथ में है। यहां हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है। हमें तो सूचनाएं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलेंगी।...(व्यवधान) उनसे ही जानकारी करके मैंने सूचना आपको दी है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह सुबह ही सरकार से सूचना आई है और इतनी सूचना गलत नहीं हो सकती कि एक आदमी की मृत्यु...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : शरद जी, हम और आप एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कौन सी ऐसी बात कही है? ...(व्यवधान) आप बताइए। मेरे पास कौन सा आधार है जिस पर मैं बोलूं? आपने कहा कि बयान देना चाहिए, ...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : क्या आप खुद इस बयान से संतुट हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे। ऐसे प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है। मैं समझता था कि आप ऐसे बयान को देने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि इनका संस्कार रहा है किसान के प्रति कहीं गिट्टी, मिट्टी, मजदूर की बात करते हैं, लेकिन इनका भााण सुननें पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। कि उनकी जानकारी अपूर्ण है । अगर यह बात है कि भीड़ के लोगों से हत्या हुई है तो आपको यह भी बयान देना चाहिए कि किसान हथियार लेकर आये थे। क्या किसान हथियार लेकर आए थे? दूसरी बात, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान जेसा सीधा-सीदा और शांतिप्रिय हिन्दुस्तान का कोई दूसरा वर्ग नहीं है। किसान का कोई संगठन नहीं है। यूनियन के नाम पर थोड़ी-बहुत पश्चिमी जिलों में बात बन गई है वर्ना किसान का कोई संगठन नहीं है। जहां यह घटना हुई है, अगर आप याद करेंगे और आपकी जानकारी के लिए कह रहे हैं कि बस्ती के

समीप ही गोरखपुर जनपद है, जो चौरी-चौरा कहलाता है। एक दर्जन से ज्यादा आजादी की लड़ाई में किसान ही शहीद हुए थे और एक-एक करके किसान ने शहीद होते हुए राट्रीय झंडा फहरा दिया था और उसके कारण महात्मा गांधी जी ने आंदोलन ही स्थगित कर दिया। समीप ही मऊ और आजमगढ़ है जहां यह घटना हुई है। वहां मधुवन में भी इसी तरह एक-एक करके किसान थाने पर चढ़ता गया और शहीद होता गया और झंडा फहराता गया तथा आखिर में किसानों ने झंडा फहरा ही दिया।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी आन्दोलन में कभी किसान हथियार लेकर नहीं जाता है, चाकू लेकर नही जाता है, डंडा लेकर नहीं जाता है। वहां अगर हिंसा हुई है, बसें जली हैं, तो इस काम को करने के लिए मजबूर किसने किया? 850 करोड़ रुपया के भुगतान का बकाया है। जिन किसानों का सरकार पर कर्जा है, वे जेलों में बन्द हैं। अत्याचार हो रहा है। जिनके पास यह 850 करोड़ रुपया है, वे बैकों से उस पर ब्याज ले रहे हैं। वे रुपया नहीं दे रहे हैं, उनको ब्याज मिल रहा है या बैंकों में जमा हो रहा है। वे इससे रोजगार कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ब्याज भी नहीं मिलेगा। मूल्य के आधार पर किसानों को घाटा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 850 करोड़ रुपए के भुगतान का आप इन्तजाम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार भुगतान नहीं कर रही है, तो केन्द्रीय सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पार्कों के विकास में लगी हुई है। चौराहों का परिवर्तन कर अपने चुनाव चिह्न लगा रही है और प्रधान मंत्री उनको देखने के लिए जायेंगे, दर्शन करने के लिए जायेंगे। किसानों की गाढ़ी खून पसीने की कमाई वहां लगेगी और प्रधान मंत्री उसको देखने के लिए जायेंगे और देखकर खुश होंगे। अय्याशी के लिए अड्डे बन रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार पैसा देने में सक्षम नहीं है । हाईकोर्ड का बहाना लगाकर आप जिम्मेदारी से नहीं हठ सकते हैं। हमें खुशी है कि आपने पंजाब के किसानों की मदद की थी। हमें खुशी है कि आपने आन्ध्र प्रदेश के किसानों की मदद की थी। क्या उसी तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद नही कर सकते हैं। .....(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : बिहार के किसानों की भी।

श्री मुलायम सिंह यादव : बिहार ही नहीं, मैं पूरे देश के किसानों की बात कह रहा हूं। देश में 76 फीसदी जनसंख्या किसानों की है । इनमें से 72 फीसदी लोगों के पास खेती है और 4 फीसदी खेतिहर मजदूर हैं। सरकार इस तरह से 76 फीसदी लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। आप निहत्थे और निर्दो लोगों पर गोली चलवायेंगे और गोली का समर्थन करेंगे। खाद्य मंत्री जी आपके जैसे संस्कार हैं, किसान मजदूरों के लिए आपने काम किया और मिट्टी काटने वाले व हल चलाने वाले लोगों के लिए काम किया, आपने ऐसा ब्यान देकर बहुत पाप किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, सभी सदस्यों के प्रश्न होने के बाद उत्तर दे दीजिए, तो ठीक रहेगा। सबका एक साथ जवाब दे दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी को चांस नहीं दे सकता हूं। एक-एक माननीय सदस्य को दे सकता हूं, नहीं तो पूरी डिबेट शुरु हो जाएगी।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की यह घटना है, इसलिए दो मिनट के समय के लिए कह रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों को लेकर...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मौके पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि विाय गम्भीर है, इसलिए इजाजत दे रहा हूं। आप भााण मत कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, हम भााण नहीं दे रहे हैं। हम भााण नहीं देते हैं, आप जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरी तरह से जानता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश में गोली चली है और उस समस्या से संबंधित सवाल इस सदन में उठाया गया था। उस समय प्रधान मंत्री जी मौजूद थे, जिस समय यह सवाल सदन में उठाया था। प्रधान मंत्री जी ने ब्यान दिया। हमें विश्वास है कि जिस तरह से समस्या की गम्भीरता को उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि बैठक करके किसानों की समस्याओं का निदान करेंगे। हमें विश्वास है कि वे जरूर निदान करेंगे।

महोदय, सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। गन्ना किसानों की समस्या जहां-जहां भी गन्ने का उत्पादन होता है, जहां-जहां भी चीनी मिलें हैं, हर जगह की एक ही समस्या है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार और महाराट्र हो, सभी जगहों की एक ही समस्या है। हम विश्वास करते हैं कि प्रधान मंत्री जी जरूर कठोर कदम उठायेंगे, गम्भीर कदम उठायेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है, जैसा

अभी माननीय मंत्री जी अपने ब्यान में कह रहे थे कि वहां की राज्य सरकार ने इनको सूचना दी है कि जो गोली चली है, वह भीड़ में से किसी ने गोली चलाई है, यानि यह बात बिलकुल प्र ामाणित होने जा रही है कि एक तरफ पुलिस ने निहत्थों पर गोली चलाई और दूसरी तरफ पुलिस साजिश करके कुछ किसानों को उस घटना में फंसाने जा रही है और गिरफ्तार करने जा रही है। इस ब्यान से यही इंगित हो रहा है।

गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस ढंग की चर्चा राज्य सरकार करती है, जैसा अभी प्रतिवेदन में पढ़ कर मंत्री जी ने सुनाया कि भीड़ में गोली चली तो कल किसान गिरफ्तार होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मंत्री जी इस मामले पर अपने स्तर से पहल करें। निहत्थे और निर्दो किसानों पर जिन लोगों ने गोली चलाई, हम यह नहीं कहते कि हाउस की कमेटी बना दीजिए, क्योंकि हाउस की कमेटी कितने मामलों में बनाएंगे, लेकिन यह घटना बिलकुल प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार जानबूझ कर किसानों के विपरीत काम करती है और किसानों पर गोलियां चलवाती है। क्या गृह मंत्री जी स्वयं हस्तक्षेप करते हुए राज्य के किसानों के हित में काम करेंगे ताकि कोई किसान गिरफ्तार न हो और जो दोी पुलिस वाले हैं, जिन्होंने गोली चलाई है उन के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे, उन्हें निर्देश देंगे, क्या ऐसा आप कर सकते हैं, यह हम आपके माध्यम से जनना चाहेंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से दो बातें मंत्री जी से कहनी है। आज सुबह जब मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया तो इन्होंने कहा था कि यह मामला समर्थन मूल्य का है, इसलिए यह कोर्ट में तय नहीं हो सकता। इस बात को सरकार भी महसूस करती है और सच्चाई यह है कि समर्थन मूल्य के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और चीनी मिल-मालिकों में एक अंदरूनी समझौता हुआ है कि अगर आप समर्थन मूल्य नहीं देना चाहते तो आप हाईकोर्ट से स्टे ले आइए, हम उसमें ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। मूल मुद्दा यह है जिसके कारण से डेढ़ महीने तक समर्थन मूल्य का मामला तय नहीं हो पा रहा है।ह्ल(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : प्रधानमंत्री जी ने भी यह महसूस किया और अपने वक्तव्य में कहा कि यह मामला कोर्ट से तय नहीं हो सकता। आज जब मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं, बड़े टाल-मटोल का वक्तव्य दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी सरकार ऐसा करेगी। हम लोगों ने मंत्री जी से मांग की थी कि इस मामले में राज्य सरकार चीनी मिलमालिकों और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाए और 24 घंटे के अंदर उसकी मीटिंग कराई जाए। मीटिंग करके इस मुद्दे को तय किया जाए कि वास्तव में समर्थन मूल्य पर वे कब से गन्ना लेना शुरू करें और हाई कोर्ट से अपना केस वापिस लें। इसका जवाब मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, केवल सरकार का टाल-मटोल वाला जवाब आ गया कि बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था की जाएगी। गन्ना किसानों का अरबों रुपया इन चीनी मिलों पर बकाया है। उसके संबंध में मंत्री जी ने कोई संतोाजनक जवाब नहीं

दिया। अगर पूरे पैसे राज्य सरकार नहीं दे सकती तो केन्द्र सरकार कुछ अनुदान दे, कुछ मदद करे ताकि गन्ना किसानों को आधा या कुछ बकाया तो कम से कम मिले। इन्हीं चीजों को लेकर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं और ये आंदोलन रुकेंगे नहीं। जहां तक गोली चलाने की बात है और इससे दो, तीन या चार लोग मरे हैं। हम राज्य सरकार से उम्मीद नहीं करते हैं कि वे अपनी सारी कमजोरियों को उजागर करेंगे और उन्होंने रिपोर्ट सही भेजी होगी। इनके आईजी, डीआईजी ने, जिस तरह से राज्य सरकार ने मैनेज किया होगा उसी तरह की रिपोर्ट बन कर आ गई। हम उसकी गहराई में जाना नहीं चाहते, लेकिन मंत्री जी से हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि अगर वास्तव में गोली कांड की जांच करनी है तो राज्य सरकार को निर्देशित करें कि उसकी न्यायिक जांच हो कि किन परिस्थितियों में गोली चली है।...(व्यवधान) किस तरह किसानों के साथ व्यवहार किया है। इन सब बातों का मंत्री जी जवाब दें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है और सदन को सूचित किया है कि दो दिसम्बर से वहां आंदोलन, धरना चल रहा है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उन सभी की संख्या के विाय में भी इन्होंने कहा है और यह भी स्वीकार किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला हाल ही में हुआ, जिसके चलते परिस्थिति उलझ गई।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछिए, मैं भााण देने की इजाजत बिलकुल नहीं दूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम जानना चाहते हैं कि जब बफ्फर स्टाक का फैसला हुआ है, चीनी मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए 20 लाख टन का बफ्फर स्टाक का फैसला तुरंत हो गया और किसान के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला हो गया। जब वहां गोली चली है तो कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति मरा है, तीन नहीं मरे हैं, भीड़ में गोली चली है। इस तरह से मामला नहीं सुलझता।

इसी तरह का कांड बिहार में होने जा रहा है। चूंकि बिहार और यूपी जुड़े हुए हैं। इसलिए जो यूपी में मूल्य तय हों वही बिहार में तय हों। यदि यूपी में 90-95 रुपए दाम तय होते हैं तो बिहार में भी इतने ही मूल्य तय होने चाहिए। इस पर तुरन्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वहां किसानों पर जो गोलियां चलीं। यह लाठी और गोली की सरकार हो गई है। ...(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना नीति के अनुसार चीनी मिल मालिक 30 दिन के अन्दर गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान नहीं करेंगे तो क्या उन चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होगा? मुंडेरवा में जो किसान आन्दोलनरत थे और आपके कथनानुसार चार वर्ों से उनका गन्ना मूल्य बकाया था, क्या सरकार ने उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया था या नहीं? उत्तर प्रदेश में गत वर्ा गन्ने के मूल्य 95 रुपए और 100 रुपए क्विंटल थे। सरकार और किसानों के बीच में एक बात तय हो गई थी कि यदि पिछले वर्ा के बराबर इस साल गन्ना मूल्य मिल जाए तो हम कम के कम

इस साल उस रेट पर गन्ना दे देंगे। मिल मालिकों का यह कहना है कि हम 95 रुपए 100 रुपए में दे नहीं सकते। उत्तर प्रदेश और यूपी दो सीमावर्ती राज्य हैं। हरियाणा में गन्ने का मूल्य 110 रुपए क्विंटल है। ऐसे में हरियाणा के चीनी मिल मालिकों को कैसे पड़ता पड़ रहा है और उत्तरप्रदेश के चीनी मिल मालिकों को कैसे नहीं पड़ता पड़ रहा है? क्या इसकी जांच करायी? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी आप अपना उत्तर दें।

कुंवर अखिलेश सिंह : जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलनरत थे फिर कौन सी परिस्थिति 11 तारीख को पैदा हुई कि पुलिस ने वहां गोलियां चलायी, बसों को जलाया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न से बाहर जाएंगे तो मैं मंत्री जी को बुला लूंगा। केवल एक प्रश्न पूछिए।

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, last year, all the State Governments provided the support price. But this year, the farmers are suddenly losing their support price. How can they manage the cultivation charges?

Secondly, the sugar price all over India is the same. There is no variation in that. The mill owners give the price to the farmers according to the recovery made. In Haryana, they are giving Rs.1100 per quintal.... (*Interruptions*) Why can the Government not call the Chief Ministers' meeting? If that meeting is called, then the Chief Ministers can have meeting with the private mill owners and do the needful. ... (*Interruptions*) Today, the Government is not able to control the sugar mill owners. The Government is going to sell all the public sector undertakings. In future, how are we going to control the situation? The State Governments are not in a position to extend financial assistance. So, the Central Government must provide financial assistance to the State Governments for giving the support price.

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार और मंत्री जी के बयान से बहुत पीड़ा पहुंची है। इस हाउस में मैंने जीरो आवर में 21 तारीख को इस मामले को उठाया था और सरकार से आग्रह किया था कि किसान बहुत पीड़ित हैं और परेशानी में हैं। अगर सरकार ने इस संबंध में कारगर कदम नहीं उठाए तो वहां हालत खराब हो जाएगी। मैंने नवम्बर के लास्ट वीक में प्रधान मंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि गन्ना किसानों की हालत बुरी हैं और उससे उनकी

हालत बिगड़ जाएगी। मैंने एक महीना पहले इसी सदन में जीरो आवर में सरकार के ध्यान में यह बात लायी थी। हरियाणा में सौ रुपए मिल रहे हैं लेकिन आप 50 भी देने को तैयार नहीं हैं। किसान के साथ ऐसा अन्याय न हो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, आप शुरु करिए।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will now go on record.

*(Interruptions) ...**

*** Not Recorded**

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय जायसवाल जी, रघुवंश प्रसाद जी और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार रखे।...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : मुझे भी इस पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदयः आठवले जी, मैंने बहुत लोगों को बोलने की इजाजत दी है जबकि प्रोसिजर में ऐसा नहीं है। मैंने इस मामले को महत्वपूर्ण जान कर परमिशन दी।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : मुझे महाराट्र के किसानों के बारे में कहना है।

अध्यक्ष महोदयः महाराट्र के किसानों के बारे में उनसे चर्चा करूंगा। मैं आपको ले जाकर चर्चा करूंगा।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर एक बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कही। मैं इस बात को मानता हूं कि एक किसान की वहां मृत्यु हुई है। वह मृत्यु पुलिस की गोली से हुई है या किसी दूसरे की गोली से हुई है, मैं इस गोली के विवाद में नहीं जाना चाहता। लेकिन यह अफसोस और दिक्कत की बात है। अभी जायसवाल जी ने कहा कि जो बफर स्टाक है, जैसे 1100 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है, उसकी चिंता है तथा जो एरियर्स बाकी हैं, उसकी चिंता है और आगे इंडस्ट्रीज कैसे चले, इसकी भी चिंता है। अभी जो 1100 करोड़ रुपये किसानों के बकाया हैं, उसके लिए सरकार ने शुगर डेवलपमैन्ट फंड में इसी सदन में अमैन्डमैन्ट कराया है। जो बफर स्टाक 778 करोड़ रुपये का है, वह पूरा का पूरा कानून के तहत किसानों के

हाथ में जायेगा, यह सीधा केन ग्रोअर्स को जायेगा। जायसवाल जी 1100 करोड़ रुपये की रकम में से 778 करोड़ रुपये भारत सरकार की तरफ से...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मंत्री जी आपने यह घोाति किया है कि 15 तारीख तक मिलें चालू हो जायेंगी, लेकिन क्या मिलें समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदेंगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अभी बीच में मत बोलिये।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैं मंत्री जी की प्रशंसा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बीच में प्रशंसा मत कीजिए, मंत्री जी आपका उत्तर चाहिए। अभी बीच में कोई प्रश्न नहीं होगा। आप मेरी तरफ देखकर उत्तर दीजिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि 1100 करोड़ रुपये की जो रकम में से हमने अभी जो इंतजाम किया है, वह कम नहीं है। इंडस्ट्रीज में दिक्कत एक सूबे में नहीं है, सब में है। उत्तर प्रदेश में हमारी तरफ से जो प्रयास हो सकता था, वहां 101 में से 81 मिलें है और 15 तारीख तक सारी मिलें खुल जायेंगी। जहां तक एरियर्स और इन सारी समस्याओं का सवाल है, उसके बारे में प्रधान मंत्री ने और मैंने स्वयं आपके माध्यम से सदन को बताया कि मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आप यह कह सकते हो कि जो गन्ना उत्पादक इलाके हैं, जहां शुगर इंडस्ट्रीज हैं, वहां के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर बात करेंगे। क्योंकि पी.डी.एस. पर ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, मेरा सुझाव होगा कि उसमें यदि इस मामले को उठा दिया जाए तो उससे ज्यादा सहूलियत होगी। निश्चित तौर पर इस समस्या के प्रति भारत सरकार चिंतित है और क्या हो सकता है, हमने किया भी है और आगे भी हम करेंगे।

18.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 13, 2002/Agrahayana 22, 1924 (Saka).